W/R

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/0077/2003/भरतपुर
अपील/डिक्री/टीए/0078/2003/भरतपुर

1– लखनलाल पुत्र सूरजमल वैश्य, निवासी माढौनी, तहसील भरतपुर।
2– प्रेमवती पुत्री सुरजमल पत्नि श्यामलाल, निवासी कटरा, नदबई।
3– विमला पुत्री सूरजमल पत्नि किशनस्वरूप वैश्य, निवासी राधिका बिहार कॉलोनी, मथुरा।
4– उर्मिला पुत्री सूरजमल पत्नि जितेन्द्र कुमार वैश्य, निवासी कृष्णा कॉलोनी, मथुरा (उ.प्र.)

..... **अपीलार्थीगण**

बनाम

1– धनश्याम पुत्र सूरजमल वैश्य
2– पूरण सिंह पुत्र चरणसिंह जाट
3– महेन्द्र पुत्र चरणसिंह जाट
4– देशराज पुत्र चरणसिंह जाट
समस्त निवासी माढौनी, तहसील व जिला भरतपुर।
5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।

..... **प्रत्यर्थीगण**

खण्ड–पीठ
श्री मदनमोहन शर्मा , सदस्य
श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य

उपस्थित :
श्री खडगसिंह अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री यज्ञदत्त शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंटस सं. 1
श्री इकबाल मौहम्मद अभिभाषक रेस्पो0 सं. 2 से 4
श्री हगामीलाल, उप राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं. 5

निर्णय

दिनांकः–15–03–2012

1– हस्तगत दोनों अपीलें राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा अपील संख्या 342/2001 व अपील संख्या 388/2001 में पारित निर्णय दिनांक 31–12–2002 के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं। दोनों ही अपीलों में वादग्रस्त भूमि, विवाद का मुख्य बिन्दु और वादग्रस्त पक्षकार समान हैं और दोनों ही

प्रथम अपीलों को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा एक ही आदेश से निर्णीत किया गया है, अतः हस्तगत दोनों ही द्वितीय अपीलों को इस एक ही आदेश से निर्णीत किया जा रहा है। इस निर्णय की एक एक प्रति दोनों पत्रावलियों में रखी जावे।

2— प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/ प्रत्यर्थी संख्या—1 घनश्याम ने अधिनियम की धारा 88, 89, 188 व 53 के अन्तर्गत वर्तमान अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 के विरुद्ध एक दावा न्यायालय सहायक कलेक्टर, नदबई (परीक्षण न्यायालय) के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम मढौनी तहसील भरतपुर में स्थित साबिक बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 750, 755, 756, 757 व 758 वर्तमान खसरा नम्बरान 819, 829, 826 व 827 की वादग्रस्त भूमि के खातेदार कृषक वादी के पिता सूरजमल थे। वादी नाबालिग था, जिसका फायदा उठा कर प्रतिवादी/अपीलार्थी लखनलाल ने उपरोक्त खसरा नम्बरान की सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि को अपने अकेले नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा लिया और बाद में खसरा नम्बर 819 व 829 की भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 7 से 9 अर्थात वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 पूरणसिंह, महेन्द्रसिंह व देशराज को कर दिया जबकि प्रतिवादी लखनलाल को ऐसे बेचान का कोई अधिकार नहीं था क्यों कि उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5, प्रत्येक का 1/6 हिस्सा था। इसके अलावा उक्त ग्राम मढौनी में ही वर्तमान खसरा नम्बरान 167, 261, 262, 263, 264, व 945 की भूमि भी स्व. श्री सूरजमल की खातेदारी की भूमि रही है और उस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5, प्रत्येक का 1/6 हिस्सा व कब्जा काश्त है। दावे में यह अनुरोध किया गया कि खसरा नम्बर 819 व 829 बाबत लखनलाल द्वारा प्रतिवादी संख्या 7 से 9 के पक्ष में किये गये बेचान को अवैध व शून्य करार देते हुये उक्त कुल किता 10 खसरा नम्बरान की वादग्रस्त भूमि में वादी को 1/6 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जावे और तदनुसार खाता विभाजन की डिक्री जारी कर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वादी के कब्जा काश्त में दखल नहीं करें। प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत कर अभिकथन किया कि स्व. श्री सूरजमल ने वादी के पक्ष में अपने जीवनकाल में और अपने ही खर्चे से अन्य भूमि वर्तमान खसरा नम्बरान 142, 187, 744 व 238 का बेचान कर दिया था। उक्त बेची गयी भूमि व वर्तमान दावे में शामिल भूमि सूरजमल की पैतृक भूमि थी और सूरजमल को वादी के पक्ष में इस प्रकार का बेचान करने का अधिकार नहीं था। वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त है और उसमें से खसरा नम्बर 238 को उसने रामस्वरुप, बाबूलाल व लक्षमण को बेचान भी कर दिया है। वादी द्वारा उसके पक्ष में सूरजमल द्वारा बेचान की गयी उक्त भूमि को दावे में शामिल नहीं करने से वाद चलने योग्य नहीं है। इसके अलावा

जवाबदावे में यह भी कथन किया गया कि प्रतिवादी/ अपीलार्थी लखनलाल को वादग्रस्त भूमि में सम्वत 2017 में ही खातेदारी अधिकार मिल गये थे और वह तब से ही उस पर काबिज काश्त चले आ रहा है।

3— उपरोक्तानुसार वाद व जवाबदावे के आधार पर परीक्षण न्यायालय ने अनुतोष विवाद्यक सहित कुल 9 विवाद्यक कायम किये और बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 11—07—2001 से वादी/ प्रत्यर्थी संख्या—1 घनश्याम का दावा खारिज कर दिया।

4— परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 11—07—2001 के विरुद्ध दोनों ही पक्षकारों द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील संख्या 342/2001 व अपील संख्या 388/2001 प्रस्तुत की गयी। वादी/ प्रत्यर्थी संख्या—1 घनश्याम द्वारा अपील संख्या 342/2001 प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया कि परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 11—07—2001 निरस्त कर वादी का दावा डिक्री किया जावे। इसी प्रकार प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा भी अपील संख्या 388/2001 प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा घनश्याम के पक्ष में किये गये सूरजमल द्वारा किये गये बेचान को गिफ्ट डीड मानने से इन्कार करते हुये की गयी टिप्पणी को निरस्त किया जावे और विवाद्यक संख्या 5, 7 व 8 बाबत किये गये निर्णय को भी निरस्त किया जावे।

5— प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त दोनों अपीलों की सुनवाई एक साथ करते हुये अपने आलोच्य निर्णय दिनांक 31—12—2002 से वादी/वर्तमान प्रत्यर्थी घनश्याम की अपील संख्या 342/2001 को स्वीकार करते हुये साबिक खसरा नम्बर 750, 755, 756, 757 व 758 वर्तमान खसरा नम्बरान 819, 829, 826 व 827 की वादग्रस्त भूमि में वादी को 1/6 हिस्से को खातेदार कृषक घोषित कर दिया और उक्त भूमि मे से वर्तमान खसरा नम्बरान 819 व 829 की भूमि को प्रतिवादी लखनलाल द्वारा बेचान किया जाना मानते हुये उक्त बेचान को यथावत रखते हुये प्रतिवादी लखनलाल के हिस्से में से कम करने के आदेश दिये। साथ स्व. सूरजमल की खातेदारी की अन्य भूमि खसरा नम्बर 167, 261, 262, 263, 264, व 945 में भी वादी घनश्याम को 1/6 हिस्से को खातेदार कृषक घोषित कर दिया गया। प्रतिवादी/ वर्तमान अपीलार्थीगण की अपील संख्या 388/2001 खारिज कर दी गयी।

6— प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 31—12—2002 के विरुद्ध हस्तगत दोनों अपीलें प्रस्तुत कर यह अनुतोष चाहा गया है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय व डिक्री को

निरस्त किया जावे तथा परीक्षण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 5, 7 व 8 बाबत की गयी टिप्पणियों को भी निरस्त किया जावे।

7— बहस अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गयी।

8— विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण द्वारा दौराने बहस अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों व आधारों को दोहराते हुये अभिकथन किया गया है कि सूरजमल की पैतृक सम्पति होने से उसे खसरा नम्बरान 142, 187, 744 व 238 की भूमि को वादी घनश्याम के पक्ष में हस्तान्तरण करने का कोई अधिकार नहीं था। उक्त कथित हस्तान्तरित भूमि को वाद में शामिल किया जाना चाहिये था और उसे शामिल किये बिना घोषणात्मक अथवा विभाजन की डिक्री पारित नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इस महत्वूपर्ण तथ्य को नजरन्दाज कर आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित की गयी है, जो कि निरस्तनीय है। यह भी तर्क किया गया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा भी विवाद्यक संख्या 5, 7 व 8 का निर्णय पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य व अभिलेखों के विपरीत किया गया है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के अनुसार सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है, जिसमें से 11 बीघा 6 बिस्वा भूमि सूरजमल द्वारा अपने जीवनकाल में ही वादी घनश्याम को हस्तान्तरित कर दी थी, जो कि अवैध हस्तान्तरण है। प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह निष्कर्ष विधिक व तथ्यात्मक स्थिति के विपरीत है कि घनश्याम को हस्तान्तरित भूमि पक्षकारान की संयुक्त हक व कब्जे की भूमि नहीं है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त 11 बीघा 6 बिस्वा भूमि को अलग रखते हुये शेष वादग्रस्त भूमि में वादी को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित करना विधि व तथ्यों के विपरीत पारित निर्णय होने से निरस्तनीय हैं। साथ ही विद्वान अभिभाषक का यह भी अभिकथन है कि खसरा नम्बर 819, 829, 826 व 827 की जो 11 बीघा भूमि अपीलार्थी लखनलाल के नाम से दर्ज है, वह उसके पिता सूरजमल की नहीं हो कर स्वयं लखनलाल के कब्जे व खातेदारी की भूमि है जिसमें उसे सम्वत 2017 में ही खातेदारी अधिकार मिल गये थे। इस भूमि बाबत राजस्व अभिलेख में अंकित स्थिति को वादी द्वारा अथवा अपने जीवनकाल में सूरजमल द्वारा कभी भी चुनौती नहीं दी गयी थी। अब सूरजमल की मृत्यु के बाद वादी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर दावा संस्थित किया गया है, जिसे परीक्षण न्यायालय द्वारा सही ही खारिज किया है। यह भी तर्क किया गया है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 31 की पालना नहीं की गयी है क्योंकि ना तो प्रत्येक विवाद्यक पर साक्ष्य व अभिलख की विवेचना की गयी है और ना ही निष्कर्षांकन ही किया गया है।

9— विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण द्वारा जवाबी बहस में अभिकथन किया गया है कि प्रत्यर्थी घनश्याम द्वारा 11 बीघा 6 बिस्वा भूमि क्रय की गयी थी, अतः उक्त भूमि को विभाजन के दावे में शामिल करने का कोई आधार नही है। यह भी तर्क किया गया कि सम्वत 2009—12 में वादग्रस्त भूमि स्व. सूरजमल की खुदकाश्त थी, अतः 11 बीघा भूमि में लखनलाल की खातेदारी दर्ज होना और खसरा नम्बर 819 व 829 की भूमि का लखनलाल द्वारा बेचान किया जाना अनाधिकृत था। यह भूमि सूरजमल की भूमि का ही हिस्सा थी और इस कारण उसे शामिल करके भूमि का विभाजन किया जाना सही है।

10— दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों में उपलब्ध रिकॉर्ड़ एवं आलोच्य निर्णयों का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया और उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 9 विवाद्यक निम्न प्रकार विरचित किये गयेः—

(1) आया आराजी खसरा नम्बरान 819/0.37 हैक्टेयर, 826/0.47 हैक्टेयर, 827/0.44 हैक्टेयर, व 829/0.56 हैक्टेयर वाके मढौनी स्व. श्री सूरजमल की मिल्कियत व खुदकाश्त की है जिसके सूरजमल की मृत्यु के बाद वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 विरासतन खातेदार हो गये। प्रतिवादी नम्बर 1 ने जो बयनामा प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 को कराया है वह नल एण्ड वॉयड है?

(2) आया आराजी खसरा नम्बरान 167/0.42 हैक्टेयर, 261/0.01 हैक्टेयर, 262/0.22 हैक्टेयर, 263/0.29, 264/0.35 हेक्टेयर, 945/0.27 हेक्टेयर वाके मढौनी के श्री सूरजमल की मृत्यु के बाद वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 हिस्सा बराबर 1/6, 1/6 के सहखातेदार हैं?

(3) आया विवादित आराजी खसरा किता 10 वाके मढौनी का वादी डिवीजन ऑफ होल्डिंग करा पाने का अधिकारी है?

(4) आया खसरा नम्बर 829/0.56 हेक्टेयर वाके मढौनी का बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 करा पाने का अधिकारी है?

(5) आया वादी ने अपने हक में कराये गये बयनामा के रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा को विवादित आराजी में सम्मिलित नहीं किया है इसलिये वर्तमान दावा डिवीजन ऑफ होल्डिंग का चलने योग्य नहीं है?

(6) आया बयनामा खसरा नम्बरान 750/2.09 बीघा, 758/3.10 बीघा व 757/0.04 बीघा का प्रतिवादी नम्बर 1 ने प्रतिवादी नम्बर 7 लगायत 9 को कराया है, वह वैध है और उसका दावे पर क्या असर है?

(7) मुताविक जवाबदावा की मद नम्बर 13 आया दावा वादी काबिल खारिजी है?

(8) आया प्रतिवादीगण 1000/–, 1000/– रू. खर्चा खास पाने के अधिकारी हैं?

विवाद्यक संख्या–9 अनुतोष बाबत थी।

11– दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों में उपलब्ध रिकॉर्ड़ एवं आलोच्य निर्णयों तथा उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन उपरान्त प्रकरण में महत्वपूर्ण व सारभूत बिन्दुओं पर इस न्यायालय का विवेचन व निष्कर्ष निम्न प्रकार हैः–

(1) **विवाद्यक संख्या–1** बाबत परीक्षण न्यायालय के निष्कर्ष का आधार यह है कि वर्तमान खसरा नम्बरान 819, 826, 827 व 829 की वादग्रस्त भूमि सम्वत 2009–12 में जमाबन्दी प्रदर्श–2 अनुसार वादी के पिता सूरजमल की मिल्कियत व खुदकाश्त की है किन्तु वादी द्वारा 2013–16 की जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की गयी और सम्वत 2017–20 में प्रतिवादी उक्त वादग्रस्त भूमि का खातेदार दर्ज है। अतः सम्वत 2012 के बाद वादग्रस्त भूमि पर सूरजमल का कब्जा काश्त सिद्ध नहीं है। इससे परीक्षण न्यायालय द्वारा यह माना गया कि सूरजमल द्वारा खुदकाश्त अधिकारों के उल्लंघन के कारण उसे खातेदारी अधिकार नहीं मिले। इस प्रकार वादी द्वारा उपरोक्त 4 खसरा नम्बरान की भूमि को संदेह से परे सूरजमल की होना सिद्ध नहीं किया गया और जमाबन्दी सम्वत 2017–20 से उक्त भूमि प्रतिवादी लखनलाल की अभिलिखित खातेदारी की होने से उसके द्वारा खसरा नम्बर 819 व 829 के बेचान में परीक्षण न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का विधिक उल्लंघन नहीं माना हैं। इस कारण विवाद्यक संख्या 1 विरुद्ध वादी निर्णीत की गयी है। इसके विपरीत प्रथम अपीलीय न्यायालय का मानना है कि इस विवाद्यक बाबत परीक्षण न्यायालय का निर्णय उचित नहीं है क्योंकि सम्वत 2012 में सूरजमल की खुदकाश्त दर्ज होने से वादग्रस्त भूमि में उसे स्वतः ही धारा 29 जमींदारी–बिस्वदारी उन्मूलन अधिनियम अनुसार खातेदारी मिल जाती है। इस कारण 2012 में सूरजमल की खुदकाश्त में रही भूमि में सम्वत 2017 में प्रतिवादी को खातेदारी मिल जाना उचित नहीं है। सूरजमल की खुदकाश्त व खातेदारी की भूमि होने से वादी सहित सभी पक्षकारान का, प्रत्येक का 1/6 हिस्सा मानते हुये वादी को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है और जिन खसरा नम्बरान 819 व 829 की भूमि का बेचान प्रतिवादी लखनलाल द्वारा प्रतिवादी

संख्या 7 से 9 को कर दिया गया, उक्त बेचान को यथावत रखते हुये उक्त भूमि को प्रतिवादी संख्या–1 लखनलाल के 1/6 हिस्से में से कम करने के आदेश भी दिये हैं। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्वत 2009–12 प्रदर्श–2 से यह तथ्य सिद्ध है कि वर्तमान खसरा नम्बरान 819, 826, 827 व 829 के साबिक खसरा नम्बरान 750, 755, 756, 757 व 758 वादी व प्रतिवादीगण के पिता सूरजमल की खुदकाश्त में दर्ज थे। राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 की धारा 29 के प्रावधान अनुसार सूरजमल को उसकी खुदकाश्त भूमि में खातेदारी अधिकार मिल जाते हैं। यह सही है कि नकल जमाबन्दी सम्वत 2017–2020 प्रदर्श–3 अनुसार उक्त 5 खसरा नम्बरान की वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या–1 लखनलाल के खातेदारी में दर्ज है किन्तु पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे यह साबित हो कि जो भूमि सम्वत 2012 में सूरजमल की खुदकाश्त में दर्ज थी, उसकी खातेदारी सम्वत 2017 में किस प्रकार लखनलाल के नाम दर्ज हो गयी। जहां तक बयान गवाहान का प्रश्न है प्रतिवादी लखनलाल स्वयं अपने बयान में दौराने प्रतिपरीक्षण स्वीकार करता है कि वादग्रस्त भूमि पिताजी सूरजमल की थी और सीलिंग से बचने के लिये 11 बीघा भूमि लखनलाल के नाम सम्वत 2012–15 में कर दी थी। इससे वादी के वादपत्र में अंकित यह तथ्य सिद्ध होता है कि बालिग पुत्र होने से सूरजमल ने अपनी खुदकाश्त की भूमि साबिक खसरा नम्बरान 750, 755 लगायत 758 को अपने बड़े बेटे लखनलाल के नाम दर्ज करा दिया। लखनलाल के बयान के प्रतिपरीक्षण भाग की पहली पंक्ति ही यह है कि मेरे पिताजी ने पटवारी से कह कर टीप चढवाई थी। इस तथ्यात्मक व दस्तावेजी स्थिति से विवाद्यक संख्या–1 के सम्बन्ध में हम न्यायालय परीक्षण न्यायालय के निष्कर्ष से सहमत नहीं है अपितु प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय सही है।

(2) **विवाद्यक संख्या–2** सूरजमल के खाता संख्या 225 की हाल खसरा नम्बर 167, 261, 262, 263, 264, व 945 बाबत है कि क्या यह भूमि वादी व प्रतिवादीगण की प्रत्येक की 1/6 हिस्से की है। इस बाबत कोई सारभूत विवाद नहीं है। परीक्षण न्यायालय द्वारा की गयी यह टिप्पणी मात्र तकनीकी है कि प्रदर्श–4 व वादपत्र में अंकित खसरा संख्या 262 व 264 के रकबा में अन्तर हैं। उक्त 6 खसरा नम्बरान की भूमि में पक्षकारान का 1/6, 1/6 हिस्सा अभिलेख से ही सिद्ध है और अभिलेखीय स्थिति को असिद्ध करने के लिये पत्रावली में कुछ

भी नहीं है। अतः हमारा मत है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय अखण्डित अभिलेखीय स्थिति पर आधारित होने से सही है।

(3) **विवाद्यक संख्या 3** का निर्णय परीक्षण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या–1 के निर्णय के आधार पर किया गया है। चूंकि विवाद्यक संख्या–1 बाबत परीक्षण न्यायालय का निर्णय इस न्यायालय के मत अनुसार सही नहीं है, अतः विवाद्यक संख्या–3 के सम्बन्ध में भी परीक्षण न्यायालय के बजाय प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय सही है कि वादग्रस्त भूमि में वादी 1/6 हिस्से का हकदार है और वह तदनुसार विभाजन कराने का हकदार है।

(4) **विवाद्यक संख्या–4** का निर्णय परीक्षण न्यायालय द्वारा इस आधार पर किया गया था कि प्रतिवादी की खातेदारी में दर्ज होने से उसके द्वारा खसरा नम्बर 819 व 829 का किया गया बेचान सही था। किन्तु चूंकि यह न्यायालय विवाद्यक संख्या–1 के सम्बन्ध में प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय की पुष्टि कर चुका है कि वर्तमान खसरा नम्बरान 819, 826, 827 व 829 के साबिक खसरा नम्बरान 750, 755, 756, 757 व 758 की भूमि वादी व प्रतिवादीगण के पिता सूरजमल की खुदकाश्त की भूमि थी और उक्त भूमि में विरासत के आधार पर वादी व प्रतिवादीगण का, प्रत्येक का 1/6 हिस्सा है। अतः प्रतिवादी लखनलाल द्वारा अकेले ही खसरा नम्बर 819 व 829 का बेचान अनाधिकृत था। प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह निर्णय उचित है कि उक्त खसरा संख्या 819 व 829 की बेचान की गयी भूमि को प्रतिवादी लखनलाल के 1/6 हिस्से में से कम किया जावे।

(5) **विवाद्यक संख्या–5** वादी घनश्याम के पक्ष में सूरजमल द्वारा अपने जीवन काल में किये गये बेचान बाबत है। अपीलार्थी/ प्रतिवादीगण द्वारा इस विवाद्यक के निर्णय के विरुद्ध मुख्य रुप से आपत्ति प्रस्तुत की है। परीक्षण न्यायालय द्वारा भी यह विवाद्यक प्रतिवादी के विरुद्ध ही निर्णीत की गयी थी और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी उक्त निर्णय को उचित माना गया है। अपीलार्थीगण की आपत्ति का आधार यह है कि खसरा नम्बरान 142, 187, 238 व 744 की यह 11 बीघा भूमि सूरजमल की स्वअर्जित नहीं हो कर पैतृक थी, जिसका वह बेचान नहीं कर सकता था। मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–ए4 अनुसार यह खसरा नम्बरान साबिक खसरा नम्बरान 122, 123, 249, 254 व 640 से बने हैं। पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्वत 2012 'प्रदर्श–ए7 व ए8' अनुसार सूरजमल की खुदकाश्त में थे। ऐसा कोई अभिलेख प्रतिवादीपक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह सिद्ध करे कि यह खसरा नम्बरान पूर्व में कभी सूरजमल के

पिता रामगोपाल की खुदकाश्त अथवा कब्जा–काश्त में रहे हो। अतः इस भूमि को सूरजमल की पैतृक सम्पत्ति मानने का कोई आधार नहीं है और सूरजमल द्वारा उक्त भूमि को बेचने के अधिकार को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। पत्रावली में उपलब्ध नकल नामान्तकरण संख्या 13 प्रदर्श–ए1 अनुसार यह बेचान रु.25000/– के प्रतिफल के बदले पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 21–04–1986 द्वारा किया गया है। जो दस्तावेज विक्रय पत्र के रुप में पंजीकृत हुआ है, उसे गिफ्ट डीड अथवा पारिवारिक समझौता मानने का कोई विधि संगत आधार नहीं है। किसी भी पंजीकृत दस्तावेज को जब तक अन्यथा सिद्ध नहीं कर दिया जाता है तब तक उसे उसी रुप में पढा जावेगा। अतः इस विवाद्यक के निर्णय बाबत अपीलार्थी पक्ष की आपत्ति स्वीकार्य नहीं है। इस बिन्दु पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष सही है।

(6) **विवाद्यक संख्या–6** बाबत परीक्षण न्यायालय का निर्णय विवाद्यक संख्या–1 के निर्णय पर आधारित है। यह न्यायालय विवाद्यक संख्या–1 पर परीक्षण न्यायालय के निर्णय को खण्डित कर चुका है। वादग्रस्त भूमि, जो कि प्रतिवादी संख्या–1 लखनलाल ने प्रतिवादगण 7 लगायत 9 को बेची है, वह पक्षकारान के पिता सूरजमल की खुदकाश्त व विधि के प्रचलन से (by operation of law) खातेदारी की भूमि थी जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या– 1 से 5, प्रत्येक का 1/6 हिस्सा होने से उक्त बेचान प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य था। इस बिन्दु पर प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय उचित है।

(7) **विवाद्यक संख्या–7 व 8** पर दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थी ने आपत्ति प्रस्तुत की है। किन्तु वस्तुतः उक्त दोनों ही विवाद्यक अन्य तनकियात व दावे के समग्र निर्णय पर आधारित है। अतः तनकीं संख्या 1 से 6 का निर्णय होने के बाद इन दोनों तनकियात का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को खारिज किया जाता है।

12– प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 31 की पालना नहीं करने के सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा उठायी गयी आपत्ति निराधार है क्योंकि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रत्येक विवाद्यक पर अपनी विवेचना व निष्कर्ष अंकित किये हैं। केवल विवाद्यक संख्या 7 व 8 पर विवेचना नहीं की गयी है और इसका कारण यह है कि इन विवाद्यक पर प्रथम अपीलीय न्यायालय परीक्षण न्यायालय के निर्णय से सहमत है और जहां अपीलीय

न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व निष्कर्षों से सहमत हो, वहां अपीलीय न्यायालय के लिये दस्तावेजात व साक्ष्य के आधार विस्तृत विवेचना करना अनिवार्य नहीं है। 2006 आर.आर.डी. पेज 206 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आर.एल.डब्लू. 2004 (4) राज. 2358 का अनुसरण किया गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था किः–

> *" .... when appellate Court agree with the view of trial Court on evidence it need not restate effect of evidence or reiterate reason given by the trial Court."*

इसी प्रकार 2010 आरबीजे (17) पेज 297 में भी AIR 2008 (SC) 673 का अनुसरण करते हुये यही अभिनिर्धारित किया गया है किः–

> *"The appellate court agreeing with the view of trial court need not restate the effect of the evidence or reasons given by the trial court; expression of general agreement with the reasons given by the court, decision of which is under appeal, would ordinarily suffice."*

अतः यह न्यायालय अपीलार्थीपक्ष द्वारा उठायी गयी आदेश 41 नियम 31 सम्बन्धी आपत्ति से सहमत नहीं है। आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

13– उपरोक्त पेरा संख्या 11 व 12 में किये गये विवेचन के आधार पर इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के आलोच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 31–12–2002 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिसंगत कारण नहीं है। हस्तगत दोनों अपीलें सारहीन व बलहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

14– परिणामतः अपीलार्थीगण की अपील संख्या 77/2003 व 78/2003 एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मूलचन्द मीणा)
सदस्य

(मदनमोहन शर्मा)
सदस्य